

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/6012 /

जबलपुर, दिनांक 23/08/2023

श्री मुकेश सेमले, लिफ्टमैन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर को “मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, इंदौर से बी.ए. स्नातक (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) की परीक्षा में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत् पाये गये तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(प्रमोद कुमार अग्रवाल)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार(सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक B/6013 /

जबलपुर, दिनांक 23/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा. / 167-ए / 1951 इंदौर, दिनांक 03.08.2023 के संदर्भ में,
 2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. एस.पी.एस.ए (एस.ए), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 4. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर / इंदौर,
 5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.)(स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. श्री मुकेश सेमले, लिफ्टमैन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(विकास चतुर्वेदी मिश्र)

राजिस्ट्रार (प्रशासन)